न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
मंगलाराम पुत्र थानारामजी जाति मेघवाल निवासी खेजडिया तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री भंवर चौहान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 60/2024

–:आदेश:–

दिनांक 08.01.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा खेजडिया पटवार हल्का केसरपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र शिवगंज तहसील शिवगंज में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 81 रकबा 1.6835 हैक्टयर है, जिसमें प्रार्थी का 1/24 हिस्सा आया हुआ है। जमाबंदी संवत 2076–2079 की खतौनी में प्रार्थी का नाम कियाराम पुत्र खानाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, जन आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मंगलाराम पुत्र थानाराम दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है। उक्त दौनों नामों का व्यक्ति प्रार्थी एकमात्र स्वयं है। उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने से उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग करने में अनैक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पडता है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र कमांक 731 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा जवाव/रिपोर्ट पेश की, जिसमें अवगत कराया कि ग्राम खेजडिया के पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं0 81 में हंसा पुत्र गोमा मेघवाल की संयुक्त खातेदारी दर्ज थी। ग्राम खेजडिया के नामां0 सं0 238 दिनांक 01.10.1983 प्रकार विरासत द्वारा हंसा व होसीया पुत्र गोमा के स्थान पर दूजा, खाना, बाबू, देशा, मोवन, पकीया पिता हंसा के नाम दर्ज हुआ। खाना पुत्र हंसा की मृत्यु होने से नामां0 सं0 295 दिनांक 18.05.1989 प्रकार विरासत द्वारा खाना पुत्र हंसा के स्थान पर चम्पा, शंकर, किया पिता खाना, मूली बेवा खाना के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात नामां0 सं0 684 दिनांक 27.12.2010 प्रकार सम्मान जनक द्वारा किया पुत्र खाना के स्थान पर कियाराम पुत्र खानाराम मेघवाल दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम मंगलाराम पुत्र थानाराम ही दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खसरा नं0 81 के सहखातेदारान देशाराम पुत्र हंसाजी व सोहनलाल पुत्र बाबुलाल जी के शपथ पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम मंगलाराम पुत्र थानाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 08.01.2025 को सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा खेजडिया के खसरा नम्बर 81 में प्रार्थी के नाम प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र व सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा का प्रमाण पत्र व सहखातेदारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य व सहखातेदारों के शपथपत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा खेजडिया** पटवार हल्का केसरपुरा के खसरा नं0 81 रकबा 1.6835 **हैक्टयर** में दर्ज नाम कियाराम पुत्र खानाराम के स्थान पर **मंगलाराम पुत्र थानाराम** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:53 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 08–01–2025

क्रमांकः–कोर्ट/2025/10

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)